

बिहार विधान परिषद के 171वें सत्र के लिए तारांकित प्रश्न

<p>श्री मिश्री लाल यादव, मा0 स0वि0प0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न आर0आर0-3</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-</p>	<p>श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा, मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना</p>
<p>प्रश्न</p>	<p>उत्तर</p>
<p>(क) क्या यह सही है कि बाढ़ के पानी में तथा आगलगी के घटना में जलकर मरने वाले मृतकों के आश्रितों को सरकार मुआवजा(अनुदान) देती है;</p>	<p>स्वीकारात्मक ।</p>
<p>(ख) क्या यह सही है कि सॉप काटने से मृत्यु होने पर सरकार मरने वाले आश्रितों को कोई मुआवजा नहीं दी जाती है ;</p>	<p>स्वीकारात्मक ।</p>
<p>(ग) क्या यह सही है कि सॉप काटने से मृत्यु की घटना बाढ़ के पानी तथा आगलगी में मरने वालों के समान आकस्मिक घटना ही है ;</p>	<p>अस्वीकारात्मक । सॉप काटने से मृत्यु की घटना भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है । अतएव, साहाय्य मानदर के अनुसार अनुदान अनुमान्य नहीं है ।</p>
<p>(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार सॉप काटने से मरने वाली घटना को भी आपदा प्रबंधन विभाग में लेकर मुआवजा बाढ़ एवं आगलगी में मरने वालों के समान देना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों ?</p>	<p>यथा उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।</p>

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0-34/2012/...../आ0प्र0 दिनांक -

प्रतिलिपि प्रशाखा पदा0, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक -4462(5) दि0-26.07.12 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में /उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-

अवर सचिव

ज्ञापांक -04/वि0स0ता0प्र0-~~34~~²⁸²⁴/2012/...../आ0प्र0 दिनांक - 29.8.12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।



अवर सचिव